संख्या-1418/2025/1931/22-2-2024-17(649)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 27 नवम्बर,2025

विषयः- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामफेर, निवासी जनपद-बस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16-09-2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामफेर, वार्ड नं0-6 भगत सिंह नगर बभनान, थाना-गौर, जनपद-बस्ती का निवासी है। रोजगार करने के लिए प्रदीप कुमार ने अपनी पत्नी बिन्दू से दिनांक 24.07.2015 को 20 हजार रूपये की मांग की। रूपये की मांग पूरी न होने पर दिनांक 26.07.2015 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गला दबा कर अपनी पत्नी बिन्दू की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-271/2015 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 302 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, बस्ती के आदेश दिनांक 29.04.2017 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.04.2024 तक अपरिहार 8 वर्ष, 8 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रे, बस्ती द्वारा बंदी के अपराध से समाज में कुप्रभाव पड़ने से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी के परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बन्दी की 38 वर्ष, 08 माह, 27 दिन की आयु एवं बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 27.04.2024 तक अपरिहार 08 वर्ष, 08 माह, 27 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 08 माह, 06 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी प्रदीप कुमार गुप्ता (बन्दी संख्या-527/2017) पुत्र श्री रामफेर, निवासी जनपद-बस्ती की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1418/2025/1931(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।